थारू

आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र

INDIGENOUS
MEDIA FOUNDATION

महासभासे,

- ☞ संयुक्त राष्ट्र संघीय बडापत्रके उद्देश्य, सिद्धान्त ओ राज्यलोग उ बडापत्रअनुसार बहन करेपर्ना कना मानगैल दायित्व पूरा कर्ना बाट उपरके असल नियतसे निर्देशित हुइटि,

- ☞ फरक हुइना आपनहे फरक मन्ना ओ उहे अनुसार सम्मान पाइपर्ना सक्कु मनैन्के अधिकारहे स्वीकारके आदिवासी जनजाति अन्य सक्कु मनैन्से बराबर बटाँ कना बाटेम सहमति जनैटि,

- ☞ मानव जातिके साझा सम्पदाभिट्टर पर्ना सभ्यता ओ संस्कृतिके विविधता ओ सम्पन्नतामे सक्कु मनैं योगदान कर्ना बाटेम फेन सहमति जनैटि,

- ☞ राष्ट्रिय उत्पत्ति वा जातिगत धार्मिक, जातीय वा सांस्कृतिक भिन्नताके आधारमे मनैं वा व्यक्ति-व्यक्तिके उच्चतामे आधारित वा ओकर पृष्ठपोषण कर्ना सिद्धान्त, नीति ओ प्रचलन जातिवादी, वैज्ञानिक रूपमे गलत, कानुनी रूपमे अवैध, नैतिक रूपमे निन्दनीय ओ सामाजिक रूपमे अन्यायपुर्ण बा कना बाटेम फेन सहमति जनैटि,

- ☞ आदिवासी जनजाति ओइनके अधिकार उपभोग कर्ना क्रममे कौनोफेन मेरिक भेदभावसे मुक्त हुइ परठ कना बाटेम फेन सहमति जनैटि आदिवासी जनजाति अन्य कारणके अतिरिक्त ओइनके भूमि, क्षेत्र ओ संसाधन उपर हुइलक उपनिवेशीकरण वा स्वामित्वहरणके कारणसे इतिहाससे जो अन्यायसे पीडित रलक ओ ओसिक खासकैके अपने आवश्यकता ओ रुचिअनुसार आफ्न विकास कर्ना अधिकार उपभोग कर्नासे ओइने बन्चित रहलमे चिन्ता व्यक्त कर्टि,

- ☞ आदिवासीन्के राजनीतिक, आर्थिक ओ सामाजिक संरचना ओ ओइनके संस्कृतिक, आध्यात्मिक परम्परा, इतिहास ओ दर्शन-विशेष कैके आपन भूमि, क्षेत्र ओ संशाधन उपर ओइनके अधिकारहे सम्मान ओ पवर्द्धन करेपर्ना अत्यावश्यकताहे स्वीकार कर्टि,

- राज्यसे हुइलक सन्धि, सम्झौता ओ अन्य रचनात्मक व्यवस्थामे घोषणा कैगैलक आदिवासी जनजातिन्के अधिकारहे सम्मान ओ प्रर्वद्धन करेपर्ना अत्यावश्यकताहे फेन स्वीकार कर्टि,

- आदिवासी जनजाति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक विकासके लग ओ जहाँ रलेसे फेन सक्कु मेरिक भेदभाव ओ दमनहे ओरवइना आपनहे सङ्गठित पारे लग्लक बाटहे स्वागत कर्टि,

- आदिवासी जनजाति आपनहे प्रभाव पर्ना विकास ओ अपने भूमि, क्षेत्र ओ संसाधन उपरके नियन्त्रणसे आपन व्यवस्था, संस्कृति ओ परम्पराहे कायम रख्ना ओ सशक्त बनैना ओ आपन आकाङ्क्षा ओ आवश्यकता अनुरूप आपन विकास प्रवर्द्धन कर्ना सक्षम हुइहि कना बाटेम विश्वस्त हुइटि,

- आदिवासीन्के ज्ञान, संस्कृति ओ परम्परागत प्रचलन उपरके सम्मानसे दिगो ओ समानुपातिक विकास ओ वातावरणके उपयुक्त व्यवस्थापनमे योगदान पुग्ना बाटहे स्वीकार कर्टि,

- शान्ति, आर्थिक ओं सामाजिक प्रगति ओ विकास, विश्वके राष्ट्र ओ जनताबीच समझदारी ओ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धके लग आदिवासी जनजातिन्के भूमि ओ क्षेत्रमे असैनिकीकरणले पुगैना योगदानमे जोड डेटि,

- बालअधिकार अनुरूप आपन लर्कापर्कनके पालनपोषण प्रशिक्षण, शिक्षा, ओ कल्याणके लग साझा जिम्मेवारी वहन कर्ना सम्बन्धी आदिवासी परिवार ओ समुदायके अधिकारहे विशेष कैके स्वीकार कर्टि,

- सन्धि, सम्झौता ओ राज्य ओ आदिवासी जनजातिबीच हुइलक अन्य रचनात्मक व्यवस्थामे घोषणा कैगैलक अधिकार कौनोकौनो अवस्थामे अन्तर्राष्ट्रिय चासो, अभिरुचि, जिम्मेवारी ओ चरित्रके हुइना बाटेम विचार पुगैटि,

☞ सन्धि, सम्झौता ओ अन्य रचनात्मक व्यवस्था ओ उ प्रतिनिधित्व कर्ना सम्बन्ध आदिवासी ओ राज्यबीचके सुदृढ साझेदारीके आधार हो कना बाटेम फेन विचार पुगैटि,

☞ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि ओ नागरिक ओ राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि एवं भियना घोषणापत्र ओ कार्ययोजनासे सक्कु मनैं अपने राजनीतिक स्थितिबारे स्वतन्त्रतापुर्वक निर्णय कर्ना अपने आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक विकासके स्वतन्त्र रूपमे खोजी कर्ना आत्मनिर्णयके अधिकारके मौलिक महत्वप्रति सहमति जनैठा कना बाटहे मन्टि,

☞ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरूप अभ्यास कैगैलक आत्मनिर्णय सम्बन्धी अधिकारसे कौनो फेन मनैन् बन्चित कर्ना यी घोषणापत्रके कौनोफेन बाटहे प्रयोग करे नैसेक्जाइ कना बाटहे ध्यानमे ढैटि,

☞ यी घोषणापत्रमे आदिवासी जनजातिन्के अधिकारहे डेहल मान्यतासे न्याय, प्रजातन्त्र, मानवअधिकारप्रतिके सम्मान, भेदभावहीनता ओ असल नियतसम्बन्धी सिद्धान्तमे आधारित राज्य ओ आदिवासी जनजातिबीच विद्यमान सौहार्दपूर्ण ओ सहयोगी सम्बन्ध अभिवृद्धि कर्ना बाटेम विश्वस्त हुइटि,

☞ राज्यके सक्कु दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेज, विशेष कैके मानवअधिकारसम्बन्धी कानूनी दस्तावेज अन्तर्गत आदिवासी जनजातिमे लागू हुइना ओर्से उहि सम्बन्धित मनैंन्के परामर्श ओ सहयोगमे पालना करक ओ प्रभावकारी रूपमे कार्यान्वयन करक राज्यन् प्रोत्साहित कर्टि,

☞ आदिवासी जनजातिन्के अधिकारके प्रवर्द्धन ओ संरक्षणमे संयुक्त राष्ट्रसंघसे महत्वपुर्ण ओ अनवरत भूमिका निर्वाह करेपर्ना बाटेम जोड डेटि,

☞ आदिवासी जनजातिन्के अधिकार ओ स्वतन्त्रताहे मान्यता डेना, प्रवर्द्धन ओ संरक्षण करक लग ओ यी क्षेत्रमे संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीके सान्दर्भिक क्रियाकलापके विकासके लग यी घोषणापत्र थप महत्वपुर्ण कदम हो कना बाटेम विश्वास कर्टि,

☞ आदिवासी व्यक्तिलोग बिना कौनो भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसे मान्यता डेलक सक्कु मानवअधिकारके बिनाभेदभाव हकदार बटाँ ओ आदिवासी जनजातिन्से ओइनके अस्तित्व, कल्याण ओ मनैक् रूपमे पुरा विकसित हुइक लग अपरिहार्य सामुहिक अधिकार बा कना बाटहे स्वीकार कर्टि ओ उप्रति फेन सहमति जनैटि,

☞ आदिवासी जनजातिन्के स्थिति क्षेत्रक्षेत्रमे ओ राष्ट्रराष्ट्रमे फरक रहल ओ राष्ट्रिय ओ क्षेत्रिय विशेषता ओ मेरमेरिक ऐतिहासिक ओ सांस्कृतिक पृष्ठभूमिहे ध्यानमे डारे पर्ना बाटहे फेन स्वीकार कर्टि,

☞ साझेदारी ओ आपसी सम्मानके भावना अनुरूप अनुशरण करेपर्ना उपलब्धिके मापदण्डके रूपमे देहायके आदिवासी जनजातिन्के अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रहे संवेदनशीलताके साथ घोषणा करटा :

धारा १

आदिवासी जनजातिन्से सामुहिक रूपमे वा व्यक्तिगत रूपमे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र ओ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनसे स्वीकारल अनुसारके सक्कु मानवअधिकार ओ मौलिक स्वतन्त्रताके पूरा उपभोग कर्ना अधिकार रहल बा ।

धारा २

आदिवासी जनजाति ओ व्यक्ति अन्य सक्कु मनै ओ व्यक्ति हस स्वतन्त्र ओ बराबर बटाँ ओ अपने सक्कु अधिकार, विशेषकैके ओइनके मौलिक उत्पत्ति

वा पहिचानमे आधारित अधिकारके उपभोग कर्ना क्रममे कौनोफेन मेरिक भेदभावसे मुक्त हुइना अधिकार ढैठाँ ।

धारा ३

आदिवासी जनजातिन्से आत्मनिर्णयके अधिकार बा । उ अधिकारके कारण ओइने आपन राजनीतिक स्थितिबारे स्वतन्त्र रूपमे निर्णय कर्ठा ओ अपने आर्थिक, सामाजिक ओ साँस्कृतिक विकासके खोजी कर्ठां ।

धारा ४

आदिवासी जनजातिन्से ओइनके आत्मनिर्णयसम्बन्धी अधिकार उपभोग करेबेर आपन आन्तरिक ओ स्थानीय मामिलासे सम्बन्धित बाट ओ आपन स्वायत्त कामेम लगानी कर्ना उपाय ओ माध्यमबारे स्वायत्त हुइना वा स्वशासनके अधिकार बा ।

धारा ५

आदिवासी जनजातिन्से आपने फरक राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक व्यवस्थाहे कायम रख्ना ओ बल्गर बनैना अधिकार बा कना ओइने चाहलमे राज्यक् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओ साँस्कृतिक क्रियाकलापमे पुरापुर रूपमे सहभागी हुइना अधिकार फेन बा ।

धारा ६

प्रत्येक आदिवासी व्यक्तिहे राष्ट्रियताके अधिकार बा ।

धारा ७

१. आदिवासी व्यक्तिन्के जिए पैना, शारीरिक ओ मानसिक अखण्डता, स्वतन्त्रता ओ व्यक्तिके सुरक्षाके अधिकार बा ।

२. आदिवासी जनजातिन्से अन्य मनैंन्के हस फरक मनैक् रूपमे स्वतन्त्रता, शान्ति ओ सुरक्षापुर्वक जिना सामुहिक अधिकार बा ओ ओइने

जातिहत्या वा अपने समुदायके लर्कापर्कन बलपूर्वक डोसर समुदायमे लैजैना लगायतके कौनो फेन मेरिक हिंसामे परे नैहुइठ ।

धारा ८

१. आदिवासी जनजाति ओ व्यक्तिन् बलपूर्वक विलयन नैहुइना वा ओइनके साँस्कृतिके विनाश नैहुइना अधिकार बा ।

२. राज्यलोग देहायके बाट हुइक नैडेहक ओ क्षतिपुर्तिके लग प्रभावकारी, संयन्त्र उपलब्ध करैहिं :

(क) फरक मनैक् रूपमे ओइन अपने अखण्डता वा अपने साँस्कृतिक मोल वा जातीय पहिचानसे बन्चित पर्ना उद्देश्य हुइलक वा ओम्ने प्रभाव पर्ना कौनोफेन काम,

(ख) अपने भूमि, क्षेत्र वा संसाधन उपर ओइनके स्वामित्व हरण कर्ना उद्देश्य हुइलक वा ओम्ने प्रभाव पर्ना कौनो फेन काम,

(ग) ओइनके अधिकारमध्ये कौनो फेन अधिकार उल्लङ्घन कर्ना वा अवमुल्यन कर्ना उद्देश्य हुइलक वा ओम्ने प्रभाव पर्ना कौनो फेन स्वरूपके बलपूर्वक कैजैना सामुहिक छारा,

(घ) कौनो फेन स्वरूपके बलपूर्वक विलयन वा एकीकरणके काम,

ङ) ओइन विरुद्ध लक्षित जातिगत वा जातीय भेदभाव प्रवर्द्धन कर्ना वा भड्काइक तयार कैगैलक कौनो फेन स्वरूपके प्रचारबाजी ।

धारा ९

आदिवासी जनजाति ओ व्यक्तिन् सम्बन्धित सम्बद्ध समुदाय वा राष्ट्रके परम्परा ओ प्रचलन अनुसार कौनो फेन आदिवासी समुदाय वा राष्ट्रसे आबद्ध हुइना

अधिकार बा । असिन अधिकार उपभोग करेबेर कौनो फेन मेरिक भेदभाव नैसिर्जक चाहि ।

धारा १०

आदिवासी जनजातिन ओइनके भूमि वा क्षेत्रसे बलपूर्वक नैहटाजाइ । सम्बन्धित आदिवासी जनजातिके स्वतन्त्र, पहिलेहे ओ सूचित मञ्जूरीबिना ओ न्यायिक ओ उचित क्षतिपुर्ति डेना सहमति ओ सम्भव हुइलमे फिर्ता हुइना विकल्प नैहोके कौनो पुनर्स्थापनाके काम नैकैजाइ ।

धारा ११

१. आदिवासी जनजातिन्से ओइनके अपने साँस्कृतिक परम्परा ओ प्रचलन मन्ना ओ उहि फेनसे लौसर्ना अधिकार बा । यम्ने पुरातात्विक ओ ऐतिहासिक स्थल, कलाकृति, नमुना, उत्सव, प्रविधि ओ दृश्य, प्रस्तुति कला ओ साहित्यहस ओइनके सँस्कृतिके पहिलक, हालके ओ भावी स्वरूपहे कायम रख्ना, संरक्षण कर्ना ओ विकास कर्ना अधिकार समेत परठ ।

२. ओइनके स्वतन्त्र, पहिलक ओ सूचित स्वीकृतिबिना वा ओइनके कानून, परम्परा ओ प्रचलनके उल्लङ्घन हुइना मेरिक लेहल ओइनके साँस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक ओ आध्यात्मिक सम्पत्तिके सम्बन्धमे प्रभावकारी संयन्त्र–आदिवासी जनजातिन्के सहकार्यमे तयार कैगैल प्रत्यवस्थापना समेत–के माध्यमसे राज्य त्रुटिपूर्ति उपलब्ध कराइ ।

धारा १२

१. आदिवासी जनजातिन्से ओइनके आपन आध्यात्मिक ओ धार्मिक परम्परा, प्रचलन ओ उत्सव प्रदर्शन कर्ना, मन्ना, ओकर विकास कर्ना ओ सिखैना अधिकार; आपन धार्मिक ओ साँस्कृतिक स्थलके सम्भार कर्ना, संरक्षण कर्ना ओ उ स्थलमे एकान्त पहुँच पैना अधिकार; आपन परम्परागत वस्तुके प्रयोग ओ ओकर उपर नियन्त्रण कर्ना अधिकार; ओ आपन मानव अवशेष स्वदेश लाने पैना अधिकार बा ।

२. सम्बन्धित आदिवासी जनजातिन्से सहकार्यमे तयार कैगैल स्वच्छ, पारदर्शी ओ प्रभावकारी संयन्त्रके माध्यमसे राज्य ओइनके स्वामित्वमे रहल आनुष्ठानिक सामान ओ मानव अवशेषमे आदिवासी जनजातिन्के पहुँच करैना ओ/वा उ सामान फिर्ता करे सेक्ना व्यवस्था खोज्हि ।

धारा १३

१. आदिवासी जनजातिन ओइनके आपन इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन, लेखन प्रणाली ओ साहित्य पुनर्जीवित कर्ना, प्रयोग कर्ना ओ भावी पुस्ताहे हस्तान्तरण कर्ना ओ समुदाय, स्थान ओ व्यक्तिन्के अपने नाउँ ढैना ओ उहि कायम रख्न अधिकार बा ।

२. यी अधिकार संरक्षित हुइलक बाट सुनिश्चित करक साथसाथे आवश्यक हुइलमे भाषानुवाद वा अन्य कानूनी उपयुक्त माध्यमके व्यवस्था कैके आदिवासी जनजाति राजनीतिक, कानूनी ओ प्रशासनिक कारबाही बुझे सेकिट ओ बुझ्लक हुइट कना बाट सुनिश्चित करक लग राज्य प्रभावकारी उपाय अवलम्बन करि ।

धारा १४

१. आदिवासी जनजातिन्से पठनपाठनके अपने साँस्कृतिक पद्धतिसे उपयक्त हुइनामेरिक अपने भाषामे शिक्षा उपलब्ध करैना आपन शिक्षण प्रणाली ओ संस्थाके स्थापना ओ ओकर उपर नियन्त्रण कर्ना अधिकार बा ।

२. आदिवासी व्यक्ति, विशेषकैके लर्कापर्कनसे बिना कौनो भेदभाव राज्यके शिक्षाके सक्कु तह ओ स्वरूपमे अधिकार बा ।

३. आदिवासी व्यक्ति, विशेषकैके अपने समुदायबाहर जीवनयापन कर्टि अइलक लगायतके लर्कापर्कनके लग सम्भव हुइलमे ओइनके अपने सँस्कृतिमे अपने भाषामे डेगैलक शिक्षामे पहुँच उपलब्ध करैना राज्य आदिवासी जनजातिन्से सहकार्यमे प्रभावकारी उपाय अवलम्बन करहिं ।

धारा १५

१. आदिवासी जनजातिन्से ओइनके अपने सँस्कृति, परम्परा, इतिहास ओ आकाङ्क्षाके सम्मान ओ विविधतासम्बन्धी अधिकार बा ओ यी शिक्षा ओ सार्वजनिक सूचनामे उपयुक्त रूपमे प्रतिविम्बित हुइ ।

२. राज्य पूर्वाग्रहविरुद्ध सङ्घर्ष कर्ना ओ भेदभाव उन्मुलन कर्ना ओ आदिवासी जनजाति ओ समाजके अन्य सक्कु वर्गबीच सहिष्णुता, समझदारी ओ सुसम्बन्ध प्रर्वद्धन करक सम्बन्धित आदिवासी जनजातिन्से परामर्श ओ सहयोगमे प्रभावकारी उपाय अवलम्बन करहिं ।

धारा १६

१. आदिवासी जनजातिन्से ओइनके अपने भाषामे अपने सञ्चारमाध्यम स्थापना कर्ना ओ बिना कौनो भेदभाव सक्कु मेरिक गैरआदिवासीसे संचालित सञ्चारमाध्यममे पहुँच पैना अधिकार बा ।

२. राज्य सरकारी सञ्चारमाध्यममे उचित मात्रामे आदिवासी साँस्कृतिक विविधता प्रतिविम्बित होए कना बाट सुनिश्चित करक लग प्रभावकारी उपाय अवलम्बन करहिं । राज्य अभिव्यक्तिके पुरापुर स्वतन्त्रताके सुनिश्चितता प्रति कौनो पूर्वाग्रह नैढैके आदिवासीन्के साँस्कृतिक विविधताहे प्रर्याप्त मात्रामे प्रतिविम्बित करक लग निजी स्वामित्वमे रहल सञ्चारमाध्यमहे प्रोत्साहित कर्ना चाहि ।

धारा १७

१. आदिवासी जनजाति ओ व्यक्तिन्हे लागू हुइना अन्तर्राष्ट्रिय ओ राष्ट्रिय श्रम कानून अन्तर्गत व्यवस्था कैगैलक सक्कु अधिकारके पुरापुर उपभोग कर्ना अधिकार बा ।

२. राज्य आदिवासी लर्कापर्कनके विशेष जोखिमके अवस्था ओ ओइनके सशक्तीकरणके लग शिक्षाके महत्वहे ध्यानमे ढैटि ओइन आर्थिक

शोषणसे ओ जोखिमपूर्ण हुइ सेक्ना वा लर्कापर्कनके शिक्षामे दखल डेहे सेक्ना वा लर्कापर्कनके स्वास्थ्य वा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक वा सामाजिक विकासमे हानिकारक हुइ सेक्ना कौनो फेन कामसे आदिवासीन्हे संरक्षण करक आदिवासी जनजातिन्से परामर्श ओ सहयोगमे विशिष्ट उपाय अवलम्बन करहिं ।

३. आदिवासी व्यक्तिन्से श्रम ओ आउर बाटक् अतिरिक्त रोजगारी वा तलबसम्बन्धी कौनो फेन भेदभावकारी शर्त आपन उपर लागू नैहुइना अधिकार बा ।

धारा १८

आदिवासी जनजातिन्से ओइनके अपने अधिकार उपर प्रभाव पर्ना विषयके निर्णय प्रक्रियामे अपने प्रक्रियाअनुरूप अप्नेहे छानल प्रतिनिधिमार्फत सहभागी हुइना ओ अपने मौलिक निर्णय कर्ना संस्थाहे कायम रख्ना ओ सिर्जइना अधिकार बा ।

धारा १९

आदिवासी जनजातिन प्रभाव पर्ना कानूनी वा प्रशासनिक उपाय अवलम्बन वा कार्यान्वयन कर्नासे पहिले राज्य आदिवासी जनजातिके स्वतन्त्र, पहिलेक ओ सूचित मञ्जुरी पाइक लग सम्बन्धित आदिवासी जनजातिके अप्ने प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत् ओइनसे असल नियतपूर्वक परामर्श ओ सहयोग करहिं ।

धारा २०

१. आदिवासी जनजातिन्से अपने राजनीतिक, आर्थिक ओ सामाजिक प्रणाली वा संस्था कायम राखक् लग ओकर विकास कर्ना, जीविकोपार्जन ओ विकासके अपने माध्यमके उपभोगके सन्दर्भमे सुरक्षित हुइना ओ आपन सक्कु परम्परागत ओ अन्य आर्थिक क्रियाकलापमे स्वतन्त्रतापूर्वक संलग्न हुइना अधिकार बा ।

२. जीविकोपार्जन ओ विकासके अपने साधनसे बन्चित आदिवासी जनजाति उचित ओ स्वच्छ त्रुटि पूर्तिके हकदार बटाँ ।

धारा २१

१. आदिवासी जनजातिन्से शिक्षा, रोजगारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण ओ पुनःप्रशिक्षण, आवास, सरसफाई, स्वास्थ्य ओ सामाजिक सुरक्षाके क्षेत्र लगायतमे आपन आर्थिक ओ सामाजिक अवस्थामे बिना कौनो भेदभाव सुधार हुइना अधिकार बा ।

२. राज्य ओइनके आर्थिक ओ सामाजिक अवस्थामे नियमित सुधार सुनिश्चित करक लग प्रभावकारी उपाय ओ उपयुक्त हुइलेसे विशेष उपाय अवलम्बन करि । आदिवासी जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, लर्कापर्का ओ अपाङ्गन्के लग अधिकार ओ विशेष आवश्यकता प्रति विशेष ध्यान डि ।

धारा २२

१. यी घोषणापत्रके कार्यान्वयन करेबेर आदिवासी जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, लर्कापर्का ओ अपाङ्गके अधिकार ओ विशेष आवश्यकता प्रति विशेष ध्यान डे जाइ ।

२. आदिवासी महिला ओ लर्कापर्का पुरापुर संरक्षण उपभोग करिट कना बाट सुनिश्चित करक लग राज्य आदिवासी जनजातिन्सेके सहकार्यमे उपाय अवलम्बन करहि ओ सक्कु मेरिक हिंसा ओ भेदभाव नैहुइना बाटक प्रत्याभूति करहिं ।

धारा २३

आदिवासी जनजातिन्से विकाससम्बन्धी आपन अधिकार उपभोग करक लग प्राथमिकता ओ रणनीति निर्धारण कर्ना ओ तय कर्ना अधिकार बा । विशेषकैके, आदिवासी जनजातिन्से स्वास्थ्य, आवास ओ आपनहे प्रभावित

बनैटि रलक अन्य आर्थिक ओ सामाजिक कार्यक्रम तर्जुमा ओ निर्धारण करक लग सक्रिय रूपमे सहभागी हुइना ओ सम्भव हुइटसम ओइनके अपने संस्थासे ओसिन कार्यक्रम सञ्चालन कर्ना अधिकार बा ।

धारा २४

१. आदिवासी जनजातिन्से आपन परम्परागत दरदवाइ ओ औषधिजन्य वनस्पति, जानवर ओ खनिजक संरक्षणलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी आपन परम्परागत चलनहे कायम राखे पैना अधिकार बा । आदिवासी व्यक्तिन्से बिना कौनो भेदभाव सक्कु सामाजिक ओ स्वास्थ्य सेवामे पहुँचके अधिकार फेन बा ।

२. आदिवासी व्यक्तिन्से पाइसेक्ना उत्कृष्ट शारीरिक ओ मानसिक स्वास्थ्यस्तर उपभोग कर्ना बराबर अधिकार बा । यि अधिकारके पुरापुर प्राप्तिके डगरेमे प्रगति हासिल कर्ना दृष्टिकोणसे राज्य आवश्यक कदम चल्हि ।

धारा २५

आदिवासी जनजातिन्से परम्परासे जो ओइने अपने स्वामित्वमे ढैलक वा अन्य मेरसे कब्जा कर्लक, बेलसटि अइलक भूमि, क्षेत्र, पानी ओ तटवर्तीय समुद्र ओ अन्य संसाधनसेके ओइनके फरक आध्यात्मिक सम्बन्धहे कायम रख्ना ओ सुदृढ पर्ना ओ यी सम्बन्धमे भावी पुस्ता प्रतिके अपने उत्तरदायित्व बहन कर्ना अधिकार बा ।

धारा २६

१. आदिवासी जनजातिन्से ओइने परम्परासे जो आपन स्वामित्वमे ढैलक, कब्जा कर्लक वा अन्य मेरिक बेलसटि अइलक वा हासिल कर्लक भूमि, क्षेत्र ओ संसाधन उपरके अधिकार बा ।

२. आदिवासी जनजातिन्से परम्परागत स्वामित्व वा अन्य परम्परागत कब्जा वा बेल्सलक कारण ओइनठेन रलक ओ ओइने अन्य मेरसे हासिल

कर्लक भूमि क्षेत्र ओ संसाधनके स्वामित्व पाइक लग उहि बेल्सना, विकास कर्ना ओ नियन्त्रण कर्ना अधिकार बा ।

३. राज्य यी भूमि, क्षेत्र ओ संसाधनहे कानूनी मान्यता ओ संरक्षण डि । असिन मान्यता सम्बन्धित आदिवासी जनजातिन्के प्रचलन, परम्परा ओ भूमि स्वामित्व प्रथाहे ध्यानमे ढैटि डे जाइ ।

धारा २७

परम्परागत रूपमे स्वामित्वमे रहटि अइलक वा अन्य मेरसे कब्जा वा बेलसटि अइलक समेत आदिवासी जनजातिके भूमि, क्षेत्र ओ संसाधनमे ओइनके अधिकारहे मान्यता डेहक ओ न्याय निरूपण करक लग राज्य सम्बन्धित आदिवासी जनजातिन्सेके सहकार्यमे ओइनके कानून, परम्परा, चलन ओ भूमिस्वामित्व प्रणालीहे उचित मान्यता डेटि एकठो स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, खुला ओ पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन कैके कार्यान्वयन करहिं । आदिवासी जनजातिन्से यी प्रक्रियामे सहभागी हुइना अधिकार रहि ।

धारा २८

१. आदिवासी जनजातिन्से ओइने परम्परागत रूपमे स्वामित्व हासिल कर्लक वा अन्य ढङ्गसे कब्जामे ढैटि अइलक वा बेलसटि अइलक भूमि, क्षेत्र ओ संसाधन आपन स्वतन्त्र, पहिले ओ सूचित सहमतिबिना अधिग्रहण कैगैलमे, लेगैलमे, कब्जा कैगैलमे बेलस गैलमे वा नष्ट कैगैलमे प्रत्यवस्थापना लगायतके माध्यमसे त्रुटिपूर्ति पैना वा सम्भव नैहुइलमे उचित, स्वच्छ ओ न्यायोचित क्षतिपूर्ति पैना अधिकार बा ।

२. सम्बन्धित मनैं स्वतन्त्रतापूर्वक सहमति जनैलक अवस्थामे बाहेक क्षतिपूर्ति बराबर गुणस्तर, आकार ओ कानूनी हैसियतके भूमि, क्षेत्र ओ संसाधनके रूपमे वा वित्तीय क्षतिपूर्तिके रूपमे वा अन्य उपयुक्त त्रुटिपूर्तिके रूपमे हुइ ।

धारा २९

१. आदिवासी जनजातिन्से ओइनके वातावरण ओ भूमि वा क्षेत्र ओ संसाधनके उत्पादन क्षमताके संरक्षण ओ सुरक्षण कर्ना अधिकार बा । असिन संरक्षण ओ सुरक्षणके लग राष्ट्र बिना कौनो भेदभाव आदिवासी जनजातिके लग सहयोग कार्यक्रम तयार कैके कार्यान्वयन करहिं ।

२. आदिवासी जनजातिके स्वतन्त्र, पहिलक ओ सूचित सहमतिबिना ओइनके भूमि वा क्षेत्रमे जोखिमयुक्त पदार्थके भण्डारण वा विसर्जन नैकैजाइ कना बाट सुनिश्चित करक लग राज्य प्रभावकारी उपाय अवलम्बन करहिं ।

३. असिन पदार्थसे प्रभावित हुइलक आदिवासी जनजातिसे तयार ओ कार्यान्वयन कर्ना मेरिक हस आदिवासी जनजातिके स्वास्थ्यके अनुगमन कर्ना सुस्वास्थ्य कायम रख्ना ओ फेन स्वस्थ बनैना कार्यक्रम उचित रूपमे कार्यान्वयन होए कना बाट सुनिश्चित करक लग फेन राज्य आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी उपाय अवलम्बन करहिं ।

धारा ३०

१. सान्दर्भिक रूपमे सार्वजनिक हितके दृष्टिसे उल्लेख्य खतरा नैरहटसम वा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिसे स्वतन्त्रतापूर्वक सहमति डेगैलक वा अनुरोध कैगैलक अवस्था बाहेक आदिवासी जनजातिके भूमि वा क्षेत्रमे सैनिक गतिविधि नैकैजाइ ।

२. सैनिक गतिविधिके लग आदिवासी जनजातिके भूमि वा क्षेत्र बेलसनासे पहिले राज्य उपयुक्त प्रक्रियाके माध्यमसे ओ विशेष रूपमे प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत् सम्बन्धित आदिवासी जनजातिन्से प्रभावकारी परामर्श करहिं ।

धारा ३१

१. आदिवासी जनजातिन्से अपने सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान ओ परम्परागत साँस्कृतिक अभिव्यक्ति ओ अपने विज्ञान, प्रविधि

ओ साँस्कृतिके अतिरिक्त मनै ओ आनुवंशिक संसाधन, बीउबिजन, दरदवाइ, जीवजन्तु ओ वानस्पतिक सम्पदासम्बन्धी ज्ञान, लोक परम्परा, साहित्य, नमूना, खेलकुद ओ परम्परागत खेल ओ दृश्य ओ प्रस्तुति कलाहे कायम रख्ना, नियन्त्रण कर्ना, संरक्षण कर्ना ओ विकास कर्ना अधिकार बा ।

ओइनसे असिन साँस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान ओ परम्परागत साँस्कृतिक अभिव्यक्तिउपर अपने बौद्धिक सम्पत्ति कायम रख्ना, नियन्त्रण कर्ना, संरक्षण कर्ना ओ विकास कर्ना अधिकार फेन बा ।

२. यी अधिकारके उपभोगहे मान्यता डेना ओ संरक्षण कर्ना आदिवासी जनजातिन्के सहकार्यमे राज्य प्रभावकारी कदम चल्हिं ।

धारा ३२

१. आदिवासी जनजातिन्से अपने भूमि वा क्षेत्र वा अन्य संसाधनके विकास वा बेल्सक लग प्राथमिकता ओ रणनीति निर्धारण कर्ना ओ तयार कर्ना अधिकार बा ।

२. आदिवासी जनजातिके भूमि वा क्षेत्र वा अन्य संसाधन-विशेषकैके खनिज, जल वा अन्य संसाधनके विकास, उपयोग वा शोषणसे सम्बन्धितहे प्रभावित पर्ना कौनो आयोजना स्वीकृत कर्नासे पहिले राज्य आदिवासी जनजातिके स्वतन्त्र ओ सूचित सहमति पाइक लग ओइनके अपने प्रतिनिधिमूलक संस्थाके माध्यमसे सम्बन्धित आदिवासी जनजातिसे असल नियतपुर्वक परामर्श ओ सहयोग करहिं ।

३. राज्य असिन कौनो फेन क्रियाकलापके लग उचित ओ न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिके लग प्रभावकारी संयन्त्र उपलब्ध करैहि ओ नकारात्मक वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा आध्यात्मिक प्रभाव न्यूनीकरणके लग उपाय अवलम्बन करहिं ।

धारा ३३

१. आदिवासी जनजातिन्से ओइनके अपने प्रचलन ओ परम्परा अनुरूप आपन मौलिक पहिचान वा सदस्यता सम्बन्धमे निर्णय कर्ना अधिकार बा । आदिवासी जनजाति बसोवास कर्टि अइलक राज्यके नागरिकता पैना आदिवासी व्यक्तिन्के अधिकारहे यी हनन नैकरि ।

२. आदिवासी जनजातिन्से ओइनके अपने प्रक्रिया अनुरूप आपन संस्थाके संरचनात्मक स्वरूप निर्धारण कर्ना ओ सदस्यता छन्ना अधिकार बा ।

धारा ३४

आदिवासी जनजातिन्से अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुरूप आपन संस्थागत संरचना ओ आपन फरक चलन, आध्यात्मिकता, परम्परा, प्रक्रिया, चलन ओ अस्तित्वमे रलक अवस्थामे न्यायिक प्रणाली ओ चलनके प्रवर्द्धन कर्ना, विकास कर्ना ओ ढैना अधिकार बा ।

धारा ३५

आदिवासी जनजातिन्से अपने समुदाय प्रति व्यक्तिन्के जिम्मेवारी निर्धारण कर्ना अधिकार बा ।

धारा ३६

१. आदिवासी जनजाति, विशेषकैके अन्तर्राष्ट्रिय सीमासे विभाजित हुउइयनसंगे ओइनके अफ्ने सदस्य एवं सीमा ओहपारिक अन्य मनैंन्से आध्यात्मिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक ओ सामाजिक उद्देश्यके क्रियाकलापलगायतमे सम्पर्क, सम्बन्ध ओ सहयोग कायम कर्ना ओ अभिवद्धि कर्ना अधिकार बा ।

२. राज्य आदिवासी जनजातिन्सेके परामर्श ओ सहयोगमे यी अभ्यासहे सहज बनाइक ओ यी अधिकारके कार्यान्वयन सुनिश्चित करक लग प्रभावकारी उपाय अवलम्बन करहिं ।

धारा ३७

१. आदिवासी जनजातिन्से राज्य वा ओइनके उत्तराधिकारीन्से कैगैल सन्धि, सम्झौता ओ अन्य रचनात्मक व्यवस्थाके मान्यता डेना, पालना कर्ना ओ कार्यान्वयन कर्ना सम्बन्धी अधिकारके साथे ओसिन सन्धि, सम्झौता ओ अन्य उपयोगी व्यवस्थाके लग राज्यसे सम्मान ओ आदर पैना अधिकार बा ।

२. यी घोषणापत्रके कौनो फेन बाटहे सन्धि, सम्झौता ओ अन्य रचनात्मक व्यवस्थामे समावेश कैगैल आदिवासी जनजातिके अधिकार कम कर्ना वा निर्मूल कर्ना कना व्याख्या नैकैजाइ ।

धारा ३८

राज्य आदिवासी जनजातिन्सेके परामर्श ओ सहयोगमे यी घोषणापत्रके उद्देश्य हासिल करक लग कानूनीलगायतके उपयुक्त उपाय अवलम्बन करहिं ।

धारा ३९

आदिवासी जनजातिन्से यी घोषणापत्रमे समावेश कैगैल अधिकारके उपभोगके लग राज्यसे ओ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत आर्थिक ओ प्राविधिक सहयोग पैना अधिकार बा ।

धारा ४०

आदिवासी जनजातिन्से राज्य वा अन्य पक्षसेके द्वन्द्व ओ विवादके समाधानके लग उचित ओ निष्पक्ष प्रक्रियाके माध्यमसे हालि निर्णयमे पुग्ना ओ आपन सामुहिक ओ व्यक्तिगत अधिकारके सक्कु उल्लंङघनके लग प्रभावकारी न्यायिक उपचार पैना अधिकार बा । असिन निर्णयले सम्बन्धित आदिवासी जनजातिके प्रचलन, परम्परा, नियम ओ कानूनी प्रणाली ओ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उपर उचित विचार पुगाइ ।

धारा ४१

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीके अङ्ग ओ विशिष्टीकृत निकाय ओ अन्य अन्तरसरकारी संगठनके वित्तीय सहयोग ओ प्राविधिक सहयोगके परिचालन लगायत अन्य माध्यमसे यी घोषणापत्रके प्रावधानके पुरापुर कार्यान्वयनके लग योगदान करहिं । आदिवासी जनजातिन प्रभावित बनैटि रलक मुद्दामे ओइनके सहभागिता सुनिश्चित कर्ना उपाय ओ माध्यमके व्यवस्था करहिं ।

धारा ४२

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, आदिवासी मुद्दासम्बन्धी स्थायी मञ्चलगायतके यकर अङ्ग ओ राष्ट्रिय स्तरके समेत यकर विशिष्टीकृत निकाय ओ राज्य यी घोषणापत्रके प्रावधानप्रतिके सम्मान ओ पुरापुर कार्यान्वयनके प्रवर्द्धन ओ घोषणापत्रके प्रभावकारिताके अनुगमन करहिं ।

धारा ४३

यहाँ पहिचान कैगैल अधिकार विश्वके आदिवासी जनजातिके जीवन, प्रतिष्ठा ओ कल्याणके लग न्यूनतम मापदण्ड स्थापित कर्ले बटाँ ।

धारा ४४

यहाँ पहिचान कैगैल सक्कु अधिकार ओ स्वतन्त्रता आदिवासी महिला ओ पुरुष प्रत्येकके लग बराबर रूपमे प्रत्याभूत कैगैल बा ।

धारा ४५

यी घोषणापत्रके कौनो फेन बाटहे आदिवासी जनजाति अब्बे उपभोग कर्टिरहल वा भविष्यमे पैना, अधिकारहे न्यूनीकरण करक वा निर्मुल कर्ना अर्थमे नैलेजाइ ।

धारा ४६

१. कौनो राज्य, जनता, समूह वा व्यक्तिसे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र विपरीत कौनो क्रियाकलापमे संलग्न हुइना वा कौनो काम कर्ना अधिकार हुइना अर्थ लग्ना मेरिक वा सार्वभौम ओ स्वतन्त्र राज्यके

क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक एकाइहे पुरापुर वा आंशिक रूपमे खण्डित पर्ना वा कमजोर पर्ना कौनो काम कर्ना अनुमति डेना वा प्रोत्साहित कर्ना अर्थ लग्ना मेरिक यी घोषणापत्रके कौनो फेन बाटहे व्याख्या करे नैसेक्जाइ ।

२. प्रस्तुत घोषणापत्रे उल्लेख कैगैल अधिकार उपभोग करेबेर सक्हुनके मानवअधिकार ओ मौलिक स्वतन्त्रताके सम्मान कैजाइ । यी घोषणापत्रमे उल्लेख कैगैल अधिकारके उपभोग करेबेर कानूनसे निर्धारण कैगैल ओ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व अनुरूपके सीमाभिट्टर किल रहेपरि । असिन कौनोफेन सीमा गैरभेदभावकारी हुइनाके साथे औरेक अधिकार ओ स्वतन्त्रताके उचित पहिचान ओ सम्मान सुनिश्चित कर्ना ओ प्रजातान्त्रिक समाजके उचित ओ सर्वाधिक बाध्यात्मक आवश्यकता समाधान कर्ना उद्देश्यके लग एकदम आवश्यक हुइ ।

३. यी घोषणापत्रमे उल्लेख कैगैल प्रावधानके व्याख्या न्याय, प्रजातन्त्र, मानवअधिकारप्रतिके सम्मान, समानता, भेद्भावहीनता, सुशासन ओ असल नियतके सिद्धान्त अनुरूप कैजाइ ।

ओराइल

Indigenous Media Foundation
Anamnagar, Kathmandu, Nepal
Tel.: 977 1 4102757, 4102689
Email : indigenoustelevision@gmail.com
Website : www.indigenousmediafoundation.org

Publisher

INDIGENOUS MEDIA FOUNDATION

IWGIA

THARU Indigenous Language, Nepal
Translation :
Krishna Raj Sarbahari (Tharu)